न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 19/2024(GCMS : 2024/39)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा – श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विशाल वर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय छठा तल, फॉर्च्यून हाईट्स, अंहिसा सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

बनाम

1. **मैसर्स कुनाल ज्वेलर्स** जरिये प्रोपराईटर श्री गौरव सोनी पुत्र श्री प्रदीप सोनी निवासी 89/बी ब्लॉक, वार्ड नं. 25ए, श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्री गौरव सोनी** पुत्र श्री प्रदीप सोनी निवासी 89/बी ब्लॉक, वार्ड नं. 25ए, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

15.04.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स कुनाल ज्वैलस एवं गौरव सोनी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 10.00/– लाख रूपये, (अखरे रूपये दस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 08.11.2021 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 07.07.2022 तक की बकाया राशि 10,35,856/– थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी गौरव सोनी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 72, वार्ड नम्बर 04, वाटर वर्क्स रोड़ (क्षेत्रफल 45' गुणा 80' वर्गफुट), गांव गणेशगढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स कुनाल ज्वैलर्स एवं गौरव सोनी को ऋण सुविधा के रूप में** 10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) **की स्वीकृति दिनांक 08.11.2021 प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गौरव सोनी ने अपनी **अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 72, वार्ड नम्बर 04, वाटर वर्क्स रोड़ (क्षेत्रफल 45'**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गुणा 80' वर्गफुट), गांव गणेशगढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.06.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को चस्पांदगी रिपोर्ट के अनुसार धारा 13(2) के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये जो वापस बैंक में लौटकर आ गये, इसलिए प्रार्थी बैंक ने नोटिस प्राप्त न होने के कारण चस्पांदगी की कार्यवाही की गई और चस्पांदगी के पश्चात धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 17.10.2023 को दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी एवं बिजनैस स्टैण्डर्ड में प्रकाशित करवाया गया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी गौरव सोनी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 72, वार्ड नम्बर 04, वाटर वर्क्स रोड़ (क्षेत्रफल 45' गुणा 80' वर्गफुट), गांव गणेशगढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:45:35 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) जारी नोटिस 07.07.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.07.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गये थे,जो वापिस प्रार्थी बैंक में लौटकर आ गये। **इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण की बंधक सम्पत्ति पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी एवं बिजनैस स्टैण्डर्ड में दिनांक 17.10.2023 को प्रकाशित करवाये है,**जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी गौरव सोनी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी गौरव सोनी **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 72, वार्ड नम्बर 04, वाटर वर्क्स रोड़ (क्षेत्रफल 45' गुणा 80' वर्गफुट), गांव गणेशगढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर